

NON ENCUMBRANCE

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

आवेदन पत्र संख्या 1382/22

प्रमाण पत्र संख्या 1200/22

चूंकि श्री S. Mahato (Adv.) द्वारा LIC H.F. Ltd. Samshedpur ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित Behalf of Kedar Construction

संपत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता०.....

से ता० 01/01/2009 to till date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ
/								


(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करे :-

(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।


(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधारों का पता नहीं चला है। प्रमाणित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण पत्र तैयार किया।

हस्ताक्षर-


पदनाम-
अधीक्षक

तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की


हस्ताक्षर-

पदनाम-


अधीक्षक

कार्यालय



तारीख..... २७/६/२२


जिला अवर निबंधक
सरायकेला - खरसावाँ
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर


२७/६/२२

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवधारों दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (ईन्डेक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(3) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहार और अवधारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहार और